(238)

संख्या 594/XXVII(9)/2012/मनो0कर–28/2009

प्रेषक,

सौजन्या,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(मनोरंजन कर)
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

विषयः– प्रदेश में स्थापित मनोरंजन पार्क एवं वॉटर पार्कों को मनोरंजन कर की देयता की परिधि में लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 457/मनो0कर/103–सा0/2012 – 13 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि मनोरंजन कर के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के विकास एवं विस्तार के परिपेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 741/11–क.स.वि.–6–98–तीस.ई.बी. 4(12)/90 दिनांक 22.05.1998 तथा मेलों व प्रदर्शनियों में लगने वाले झूलों, अस्थाई वॉटर पार्क एवं अन्य आमोद संयन्त्रों को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 1394/11–क.नि.–6–2000 तीस.ई.बी. 4(12)/90 दिनांक 03.08.2000 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. जन सामान्य एवं छोटे व्यावसायियों के हित में उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा–11(1)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेलों व प्रदर्शनियों आदि में लगाये जाने वाले केवल हाथ एवं पैर से चलने वाले परम्परागत झूलों को मनोरंजन कर की देयता से मुक्त किया जाता है।

3. उत्तराखण्ड सरकार की औद्योगिक नीति, 2003 के अर्न्तगत राज्य में नये स्थापित होने वाले नए मनोरंजन पार्कों को स्थापना से पांच वर्ष की अवधि तक मनोरंजन कर से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी प्राविधान यथावत रहेगें, तथा राज्य में स्थापित ऐसे सभी मनोरंजन पार्क जिन्हें स्थापित हुए पांच वर्ष की अवधि हो चुकी है, उक्त सभी की गणना कर नियमानुसार मनोरंजन कर अधिरोपित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सौजन्या)
अपर सचिव।